

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

आदेश

वाद सं० एम० 18/2022
धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता

प्रथम पक्ष..... बालकिशुन लोहरा वगैरह
बनाम
द्वितीय पक्ष लक्ष्मण लोहरा वगैरह

वाद की कार्यवाई थाना कामडारा के अप्रथामिकी संख्या 03 / 2023 दिनांक 04.03.2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है **प्रथम पक्ष :-** (1) बालकिशुन लोहरा, उम्र 58 वर्ष, पिता - स्व० रंगलाल लोहरा (2) सीता देवी उम्र 55 वर्ष, पति - बालकिशुन लोहरा सा० - बाहमण्डीह, थाना- कामडारा, जिला- गुमला **बनाम**
द्वितीय पक्ष :- (1) लक्ष्मण लोहरा, उम्र 56 वर्ष, पिता- रंगलाल लोहरा (2) ललिता देवी, उम्र करीब 27 वर्ष पति - अशोक लोहरा (3) लक्ष्मी देवी, उम्र करीब 23 वर्ष, पति - राहुल लोहरा सभी सा० - बाहमण्डीह, थाना- कामडारा, जिला- गुमला के बीच मौजा- बाहमण्डीह के खाता सं० 91 प्लॉट सं० 1761, कुल रकबा 0.03 ए० पर दोनों पक्षों में आपसी विवाद है। जिसको लेकर उभय पक्षों के बीच शांति एवं विधि व्यवस्था भंग होने की सम्भावना हो सकती है। थाना प्रभारी कामडारा के प्रतिवेदन के आलोक में उत्पन्न विवाद के मदेनजर उभय पक्षों को विवादित भूमि पर 60 दिनों के लिए जाने से प्रतिबंधित करते हुए उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा जवाब दाखिल किये हैं।

प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल लिखित जवाब एवं दाखिल कागजात :-

प्रथम पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया, परन्तु प्रथम पक्ष के द्वारा विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से कारण पृच्छा दाखिल नहीं किये।

द्वितीय पक्ष के द्वारा दाखिल लिखित जवाब एवं दाखिल कागजात :-

द्वितीय पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया, परन्तु द्वितीय पक्ष के द्वारा विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से कारण पृच्छा दाखिल नहीं किये।

निष्कर्ष

वादगत भूमि थाना पालकोट मौजा- बाहमण्डीह के खाता सं० 91 प्लॉट सं० 1761, कुल रकबा 0.03 एकड़ जमीन से संबंधित है। उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से कारण पृच्छा दाखिल नहीं किये। इससे यह प्रतीत होता है कि उभय पक्षों को इस वाद में कोई भी अभिरुची नहीं है। वर्तमान में वादगत भूमि को लेकर शांति भंग होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं है। अतः समयावधी बीत जाने के कारण वाद की कार्यवाही बिना गुण-दोष के समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।


अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।


अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।